उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध वाद संख्या – 23/2022

प्रमोद सलूजा बनाम् भगवान मिश्रा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
02-08-2022	आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि आवेदक प्रमोद सलूजा, पिता–स्व० मदन सलूजा, निवास स्थान–मेन रोड, रामगढ़ कैन्ट, पो०–रामगढ़, जिला–रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा निबंधन अधिनियम–1908 की धारा–82 एवं 83 के तहत् आवेदन दायर किया गया है। जिसे प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनावाई हेतु तिथि निर्धारित की गई। न्यायालय द्वारा निर्धारित विभिन्न तिथियों को आवेदक न तो खुद उपस्थित हुए न ही उनके द्वारा प्राधिकृत अधिवक्ता के द्वारा पैरवी दिया गया है इससे यह प्रतीत होता है कि आवेदक को उक्त वाद से संबंध में किसी भी प्रकार का अभिरूचि नहीं है। अतः आवेदक द्वारा दायर किये गये आवेदन को प्रविष्टि के बिन्दु पर अस्वीकृत किया जाता है। संचित करें। लेखापित एवं संशोधितं। माधवी मिश्रा 02.8.2022 उपायुक्त, रामगढ़। माधवी मिश्रा 02.8.2022 उपायुक्त, रामगढ़।	

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.08.20 14:40:59 +05:30
Location: 192.168.0.13